

भारतीय मानक ब्यूरो
मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002

वैज्ञानिक - बी की भर्ती

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक और भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह देश में मानकीकरण, उत्पाद एवं पद्धति प्रमाणन, स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग एवं प्रयोगशाला परीक्षण इत्यादि गतिविधियां संचालित करता है। बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानकीकरण एवं प्रमाणन गतिविधियां संचालित करता है। बीआईएस वैज्ञानिक - 'बी' के पद हेतु प्रतिभाशाली और उत्साही युवा व्यक्तियों को उत्कृष्ट कैरियर का अवसर प्रदान करता है। ये पद सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल 10 में हैं और यथा लागू भत्ते भी देय हैं। आज की तिथि में संसूचक सकल आय नई दिल्ली में ₹.79,929/- है। महत्त्वपूर्ण सेवा शर्तों के लिए अनुबंध 1 देखें।

1. पदों की संख्या : नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न शाखाओं में कुल रिक्तियों की संख्या 109 है, जिसमें बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं:-

| शाखा | रिक्तियों की संख्या | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| | कुल | अनराक्षित | अ.पि.वर्ग | अनु.जा. | अनु.ज. जाति |
| यांत्रिकी इंजीनियरिंग | 21 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| धात्विक इंजीनियरिंग | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| सिविल इंजीनियरिंग | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| विद्युत इंजीनियरिंग | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 17 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| रासायनिक इंजीनियरिंग | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| खाद्य प्रौद्योगिकी | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| सूक्ष्मजीव विज्ञान | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| वस्त्रादि इंजीनियरी एवं फाइबर विज्ञान | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| कुल | 109 | 50 | 32 | 18 | 09 |

2. बैचमार्क दिव्यांगों के लिए आरक्षण

बैकालॉग की पांच रिक्तियों सहित नौ रिक्तियां निम्नलिखित अनुसार बैचामार्क दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी :

| दिव्यांगता किस्म | रिक्तियों की संख्या |
|---|---------------------|
| दृष्टिहीनता और दृष्टि न्यूनता | 2 |
| गूंगा व बहरापन | 5 |
| प्रमस्तिष्क पक्षाघात (cerebral palsy), कुष्ठ उपचारित (leprosy cured,) बौनापन (dwarfism), एसिड अटैक पीडित और मांसपेशीय दुर्विकास (muscular dystrophy) सहित गतिमान (locomotor) दिव्यांगता | 1 |
| स्वलीनता (autism), बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विकलांगता विशेष और मानसिक रोग | 1 |
| बधिरांधता सहित उपरोक्त के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में बहुदिव्यांगी | |

सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अनुबंध 2 देखें।

3. अनिवार्य योग्यता :

| शाखा | योग्यता |
|---|--|
| यांत्रिकी इंजीनियरिंग, | संबद्ध शाखा में कुल न्यूनतम 60% अंकों के साथ (अनु.जा/अनु.ज.जाति के उम्मीदवारों के लिए 50%) इंजीनियरिंग अथवा टेकनॉलजी अथवा समकक्ष स्नातक डिग्री |
| धात्विक इंजीनियरिंग | |
| सिविल इंजीनियरिंग | |
| विद्युत इंजीनियरिंग, | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, | |
| रसायन इंजीनियरिंग | |
| खाद्य प्रौद्योगिकी, | |
| वस्त्रादि इंजीनियरिंग एवं फाइबर विज्ञान | |
| सूक्ष्मजीवविज्ञान | कुल न्यूनतम 60% अंकों के साथ (अनु.जा/अनु.ज.जाति के उम्मीदवारों के लिए 50%) स्नाकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष |

अधिक जानकारी के लिए अनुबंध 3 देखें।

4. **आयु सीमा** : उम्मीदवार की आयु 01.03.2018 को **21-30 वर्ष** की हो।

अनु.जाति/अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति /भूतपूर्व सैनिक/ 1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 के बीच साधारणतया जम्मू व कश्मीर के अधिवासियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट केन्द्र सरकार के अनुसार होगी।

अनु.जा./अनु.ज.जाति के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष ; अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष ; बेंचमार्क दिव्यांग (अनारक्षित) के लिए 10 वर्ष ; बेंचमार्क दिव्यांग (अनु.जा./अनु.ज.जा.) के लिए 15 वर्ष ; बेंचमार्क दिव्यांग (अ.पि.वर्ग) के लिए 13 वर्ष की छूट होगी। बीआईएस में कार्यरत विभागीय उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर 1989 के बीच साधारणतया जम्मू व कश्मीर के अधिवासी रहे व्यक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट :

1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर 1989 के बीच साधारणतया जम्मू व कश्मीर के अधिवासी रहे सभी व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट केन्द्र सरकार के अनुसार होगी। इस उपकॉलम के अंतर्गत छूट लेने वाले व्यक्तियों को उस जिला मजिस्ट्रेट अथवा जम्मू व कश्मीर सरकार की ओर से अभिनामित अन्य प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा जिसकी क्षेत्राधिकार सीमा के भीतर उसका सामान्य निवास था।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट:

(i) उन सैन्य सेवा कर्मियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष (अनु.जा/अनु.ज.जाति हेतु आठ वर्ष) जो किसी दूसरे देश अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में युद्ध स्थिति के दौरान ऑपरेशन में विकलांग हुए हों और उसके परिणामस्वरूप उसे सेवामुक्त कर दिया गया हो।

(ii) भूतपूर्व सैनिक के मामले में अधिकतम पांच वर्ष तक जिसमें वे कमीशन्ड अधिकारी और ईसीओ/एसएससीओ शामिल हैं जिन्होंने 01.03.2018 को न्यूनतम पांच वर्ष की सैन्य सेवा की हो और जिन्हें सेवामुक्त कर दिया गया हो ;

(क) नियत कार्य पूरा होने पर (उनके सहित जिनका नियत कार्य एक वर्ष के भीतर होना था) अन्यथा कदाचार अथवा असक्षमता के कारण बर्खास्त या सेवा से हटाने पर, अथवा

(ख) सैन्य सेवा के कारण दिव्यांगता के कारण, अथवा

(ग) अशक्तता के कारण।

(iii) उन ईसीओ/एसएससीओ के मामले में अधिकतम पांच वर्ष तक जिन्होंने 01.03.2018 को सैन्य सेवा के पांच वर्ष के नियत कार्य (assignment) का आरंभिक समय पूरा किया है और जिनका नियत कार्य पांच वर्ष अधिक बढ़ा दिया गया तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय ने प्रमाणपत्र जारी किया हो कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो चयन होने पर नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिए जाएंगे।

नोट I: भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा उन व्यक्तियों पर लागू होगी जिनको भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा एवं पद में पुर्ननियुक्ति) नियम, 1979, समय-समय पर यथासंशोधित में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट II: कॉलम (ii) व (iii) में आयु सीमा में छूट उन भूतपूर्व सैनिकों और ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन्ड अधिकारियों पर लागू नहीं होगी जिनको उनके आग्रह पर सेवामुक्त किया गया हो।

नोट III: आयु सीमा में छूट लेने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय और भर्ती प्रक्रिया के बाद के किसी चरण में बीआईएस द्वारा यथा आवश्यक होने पर प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) की प्रति देनी होगी।

5. **चयन प्रक्रिया** : योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए स्वयं के खर्च पर उपस्थित होना होगा। परीक्षा केन्द्रों की संभावित सूची अनुबंध 4 पर दी गई है। साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों में आउटस्टेशन उम्मीदवारों को उनके सामान्य आवास से लघुत्तम रेल मार्ग का द्वितीय श्रेणी का आने व जाने का यात्रा किराया दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों को बाद में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार का विवरण जैसे उसका स्वरूप, साक्षात्कार केन्द्र, स्थल का पता, समय व तिथि की सूचना चुने गए उम्मीदवारों को कॉललेटर द्वारा दी जाएगी। उम्मीदवारों को बीआईएस की अधिकृत वेबसाइट www.bis.gov.in से अपना साक्षात्कार का कॉललेटर डाउनलोड करना होगा।

ऑनलाइन परीक्षा की अधिक जानकारी के लिए अनुबंध 5 देखें।

6. **कैसे आवेदन करें** : उम्मीदवार बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in के माध्यम से 16.03.2018 से 02.04.2018 तक ऑनलाइन आवेदन करें। किसी भी परिस्थिति में किसी भी

अन्य माध्यम/तरीके से जमा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए अनुबंध 6 देखें ।

7. आवेदन शुल्क जमा करना : आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार [16.03.2018 से 02.04.2018 तक देय (केवल ऑनलाइन भुगतान द्वारा)] रु.750/- है और अप्रतिदेय है। अनु.जा./अनु.ज.जाति/भूतपूर्व सैनिकों/बैचमार्क दिव्यांगों/महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक हस्तांतरण शुल्क, यदि कोई हो, का वहन उम्मीदवार को करना होगा।

8. कार्यक्रम की संभावित तिथियां निम्नलिखित अनुसार होंगी:

| कार्यक्रम | संभावित तिथियां |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ऑनलाइन पंजीकरण | 16.03.2018 से 02.04.2018 |
| आवेदन शुल्क का भुगतान-ऑनलाइन | 16.03.2018 से 02.04.2018 |
| ऑनलाइन परीक्षा हेतु कॉललेटर डाउनलोड | लगभग 07.04.2018 |
| ऑनलाइन परीक्षा | 15.04.2018 |

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विवरण एवं नवीनतम जानकारी के लिए बीआईएस की अधिकृत वेबसाइट www.bis.gov.in नियमित रूप से देखते रहें।

9. महत्त्वपूर्ण निर्देश : विवरण के लिए अनुबंध 7 देखें ।

घोषणाएं : इस प्रक्रिया से संबंधित अन्य घोषणाएं/विवरण समय-समय पर केवल बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर प्रकाशित/उपलब्ध होंगी।

प्रमुख (एचआरडी)

नई दिल्ली

तिथि : 15.03.2018

अनुबंध 1
महत्त्वपूर्ण सेवा शर्तें

- (i) प्रतिभू बंध-पत्र (Surety Bond): प्रतियोगी परीक्षा द्वारा वैज्ञानिक-बी के पद पर नियुक्त उम्मीदवार को ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप पर ब्यूरो में न्यूनतम तीन वर्ष सेवा करने का प्रतिभू बंध-पत्र देना होगा। यदि वह नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष पूर्व त्यागपत्र द्वारा अथवा बिना अनुमति के सेवा से अनुपस्थिति रहने पर सेवा छोड़ता है तो उसे अंतिम आहरित दर पर छः माह की परिलब्धियों की प्रतिपूर्ति ब्यूरो को करनी होगी और यदि वह इससे कम अवधि तक सेवा में रहा हो तो उसे आहरित पूरी राशि लौटानी होगी।
- (ii) परिवीक्षा : 2 वर्ष
- (iii) सेवा लाभ : छुट्टी/एलटीसी/चिकित्सा लाभ अनुमत है जिसमें वर्ष में 15 दिन का लीव एनकैशमेन्ट शामिल है।
- (iv) तैनाती : भारत में कहीं भी
- (v) कैरियर की संभावनाएं : इस संगठन के वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारी वर्तमान में 'मॉडीफाइड फ्लेक्सिबल स्कीम' के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि कार्यकारिता और मूल्यांकन पर आधारित पदोन्नति अथवा समय-समय पर यथा लागू विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों में क्रियान्वित है।

अनुबंध 2
आरक्षण से संबंधित सामान्य निर्देश

क) "बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति" की परिभाषा

"बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति" से अभिप्राय है जहां मापन योग्य दिव्यांगता परिभाषित न की गई हो वहां व्यक्ति निर्धारित दिव्यांगता का कम से कम चालीस प्रतिशत दिव्यांग हों और इसमें वे दिव्यांग भी शामिल हैं जहां मापन योग्य दिव्यांगता परिभाषित की गई है, जैसा कि प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

ख) तदनुसार निम्नलिखित दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं (भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 15.01.2018 के अनुसार)

(i) दृष्टिहीनता और दृष्टि न्यूनता

(ii) गूंगा व बहरापन

(iii) प्रमस्तिष्क पक्षाघात (cerebral palsy), कुष्ठ उपचारित (leprosy cured,) बौनापन (dwarfism), एसिड अटैक पीडित और मांसपेशीय दुर्विकास (muscular dystrophy) सहित गतिमान (locomotor) दिव्यांगता

(iv) स्वलीनता (autism), बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विकलांगता विशेष और मानसिक रोग

(v) बधिरांधता सहित उपरोक्त (i) एवं (iv) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में बहुदिव्यांगी।

ग) इस प्रकार का लाभ लेने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय/प्रक्रिया के किसी चरण में अपने दावे की पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्दिष्ट प्रारूप में प्रमाणपत्र देना होगा जो कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अथवा उससे पूर्व जारी किया गया हो।

घ) बेंचमार्क वाले दिव्यांग को आशयकतानुसार किसी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय में कार्य करना होगा।

ड) लिपिक (scribe) का प्रयोग करने वाले बेंचमार्क दिव्यांग के लिए दिशा-निर्देश :

ऐसे दृष्टिबाधित उम्मीदवार जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से स्थायी तौर पर विपरीत रूप से प्रभावित हो वह ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपनी लागत पर अपने लिए लिपिक का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि नीचे (2) व (4) के अनुसार हो। लिपिक का प्रयोग किए जाने वाले सभी मामलों में निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

1) उम्मीदवार को अपनी लागत पर अपने लिपिक की व्यवस्था करनी होगी।

2) उम्मीदवार द्वारा तय किया गया लिपिक इसी परीक्षा का उम्मीदवार न हो। प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाए जाने पर उम्मीदवार और लिपिक की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। परीक्षा में लिपिक का प्रयोग करने के इच्छुक पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन

पत्र में इसका निरापवाद रूप से और सावधानी से उल्लेख करें। बाद में इससे संबंधित अनुरोध पर अनुकूलतापूर्वक विचार करना संभव नहीं होगा।

3. एक उम्मीदवार के लिए लिपिक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे उम्मीदवार के लिए लिपिक का कार्य नहीं कर सकता है।

4. लिपिक पद के लिए निर्दिष्ट लिपिक भिन्न शैक्षणिक शाखा से होना चाहिए।

5. लिपिक के साथ-साथ उम्मीदवारों को एक उपयुक्त वचनबद्धता देनी होगी जो पुष्टि करती हो कि लिपिक उपर्युक्त सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त यदि बाद में यह पता चलता है कि वह निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है या वस्तुगत तथ्यों को छिपाया गया है तो ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम के बाद भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. लिपिक का प्रयोग करने वाले उम्मीदवार प्रति घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे या जैसे अन्यथा सलाह दी जाती है।

7. ऐसी सुविधा सिर्फ प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण करने वाले उम्मीदवार को दी जाएगी, क्योंकि उम्मीदवार को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम पर आधारित होगा, यदि वह पंजीकृत नहीं होगा/होगी तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसा संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत न करने वाले आवेदकों को ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. लिपिक स्वयं से कोई उत्तर नहीं देगा। ऐसे कोई व्यवहार पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

च) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड हमले के शिकार, मांसपेशियों केदुर्विकास और बहुविध दिव्यांगता वाले आवेदकों सहित गतिमान दिव्यांगता वाले आवेदकों के लिए दिशा-निर्देश :

प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड हमले के शिकार, मांसपेशियों की विकृति और बहुविधदिव्यांगता वाले आवेदकों सहित गतिमान दिव्यांगता आवेदकों को प्रति घंटे बीस मिनट के प्रतिपूरक समय या जैसा अन्यथा सलाह दी जाती है, की अनुमति वहां होगी जहां काम करने की प्रभावी क्षमता (लिखने की) प्रभावित होने से धीमी हो (न्यूनतम 40% दुर्बलता)।

छ) दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए दिशा-निर्देश :

दृष्टिबाधित उम्मीदवार (जो 40% से कम दिव्यांगता से पीड़ित नहीं है) परीक्षण सामग्री को बड़े फॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी आवेदकों परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए या जो अन्यथा सलाह दी जाएगी, के लिए पात्र होंगे। जो दृष्टि बाधित उम्मीदवार परीक्षा में लिपिक की सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए परीक्षा में बड़े फॉन्ट में सामग्री की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों /स्पष्टीकरण, यदि कोई हो के संदर्भ में परिवर्तित हो सकते हैं।

ज) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) निम्नलिखित है :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग :

क) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उप-आयुक्त / उप-कलेक्टर / प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक के नीचे नहीं) / ताल्लुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त

(ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट

(ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की रैंक से नीचे न हो

(घ) क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हो

(ड.) प्रशासक / सचिव प्रशासक / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

अपने दावे के समर्थन में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों के प्रमाण पत्र का प्रारूप, प्रपत्रक के अनुसार हो और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों के

प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रपत्र ख और प्रपत्र ग के अनुसार हो। इन श्रेणियों के आवेदकों को साक्षात्कार के समय इन्हीं प्रपत्रों में प्रमाणपत्रों को देना आवश्यक है।

बैंचमार्क दिव्यांगों के लिए : प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकरण "दिव्यांग व्यक्ति अधिकार नियम, 2017 " के अनुसार हो:

(क) आवेदन में निवास स्थान के प्रमाण में उल्लिखित उम्मीदवार के निवास के जिले में ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक चिकित्सा प्राधिकारी या कोई अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी; या

(ख) सरकारी अस्पताल में संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी जहां पर दिव्यांगता का इलाज किया गया हो या इलाज चल रहा हो :

दिव्यांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप "दिव्यांग व्यक्ति अधिकार नियम, 2017" में संलग्न प्रपत्र पांच, छः, सात के अनुसार हो।

दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1 का 1996) के अंतर्गत जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा।

अनुबंध 3

अनिवार्य अर्हताओं के संबंध में सामान्य अनुदेश

- क) यदि उम्मीदवार ने अंतिम स्नातक डिग्री / स्नातकोत्तर डिग्री में ग्रेड प्राप्त किए हैं, तो उनका ग्रेड आवश्यक प्रतिशत के बराबर होना चाहिए।
- ख) पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बीआईएस के विभागीय उम्मीदवारों को अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और वह सीधे आवेदन कर सकते हैं।
- ग) उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यताएं विश्वविद्यालय /संस्थान /भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनियामक निकायों से होनी चाहिए और परिणाम 01.03.2018 को या उससे पहले घोषित किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा 01.03.2018 को या उससे पहले घोषित किए गए परिणाम के दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाएं।पात्रता के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि अंकतालिका/अनंतिम प्रमाण पत्र पर दी गई तिथि मानी जाएगी।
- घ) उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में स्नातक में प्राप्त प्रतिशत को निकटतम दो दशमलव में की गई गणना में इंगित करना होगा। जहां सीजीपीए / ओजीपीए दिए गए हैं, वहां उसी को प्रतिशत में परिवर्तित कर दिया जाए और ऑनलाइन आवेदन में इसको इंगित किया जाए।
- ङ) प्रतिशत की गणना: उम्मीदवार को प्रतिशत सभी विषयों के सेमेस्टर/ वर्षों के अंकों का प्रतिशत प्राप्तांक से विभाजित करके निकालना होगा, चाहे वह ऑनर्स हो/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो। यह उन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा जहां ऑनर्स के आधार पर केवल श्रेणी / ग्रेड दिए जाते हैं। प्रतिशत से आने वाले अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा अर्थात्, 59.99% को 60% से माना जाएगा और 54.9 9% को 55% से कम माना जाएगा।
- च) एक से अधिक आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- छ) दोहरी योग्यता / विशेषज्ञताओं के मामले में उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय प्रमाण देना आवश्यक है क्योंकि भर्ती के समय में उनकी प्रमुख विशेषज्ञता पद के लिए निर्धारित अपेक्षित पात्रता के अनुरूप होनी चाहिए।

अनुबंध 4

परीक्षा केन्द्र (संभावित सूची)

परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जा सकती है और स्थान का पता कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा। तथापि बीआईएस, किसी भी परीक्षा केंद्र को प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर और / या कुछ अन्य केन्द्रों को विवेकानुसार जोड़ने या रद्द करने का अधिकार रखता है। बीआईएस उम्मीदवार द्वारा चुने गए केन्द्र के अतिरिक्त अन्य केन्द्र को आवंटित करने का अधिकार रखता है।

| क्रम. सं. | केन्द्र |
|-----------|---------------------|
| 1 | हैदराबाद/सिकंदराबाद |
| 2 | विशाखापट्टनम |
| 3 | विजयवाड़ा |
| 4 | नाहरलागुन |
| 5 | गुवाहाटी |
| 6 | पटना |
| 7 | चंडीगढ़/मोहाली |
| 8 | रायपुर |
| 9 | मापूसा |
| 10 | अहमदाबाद/गांधीनगर |
| 11 | वडोदरा |
| 12 | बददी और बिलासपुर |
| 13 | जम्मू |
| 14 | भिलाई |
| 15 | रांची |
| 16 | जमशेदपुर |
| 17 | बंगलूरु |
| 18 | मंगलौर |
| 19 | कून्नूर |

| | |
|----|-----------------------------------|
| 20 | तिरुवनंतपुरम |
| 21 | भोपाल |
| 22 | इंदौर |
| 23 | जबलपुर |
| 24 | ग्रेटर मुंबई/नवी मुंबई/ठाणे |
| 25 | नागपुर |
| 26 | पुणे |
| 27 | शिलांग |
| 28 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) |
| 29 | भुवनेश्वर |
| 30 | बहरोमपुर(गंजम) |
| 31 | पुदुचेरी |
| 32 | अमृतसर |
| 33 | बीकानेर |
| 34 | जयपुर |
| 35 | उदयपुर |
| 36 | गैंगटोक/बरडांग |
| 37 | चेन्नई |
| 38 | कोयम्बतूर |
| 39 | अगरतला |
| 40 | इलाहबाद |
| 41 | लखनऊ |
| 42 | देहरादून |
| 43 | दुर्गापुर/आसनसोल |
| 44 | ग्रेटर कोलकाता |
| 45 | सिलिगुड़ी |

अनुबंध 5

ऑनलाइन परीक्षा

i) ऑनलाइन परीक्षा की रूप रेखा

| क्रम. सं. | परीक्षा का नाम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | कुल समय |
|-----------|--------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 1 | तर्कशक्ति | 50 | 50 | 120 मिनट |
| 2 | अंग्रेजी भाषा | 50 | 50 | |
| 3 | संबंधित विषय की तकनीकी जानकारी | 50 | 50 | |
| 4 | परिणात्मक अभिक्षमता | 50 | 50 | |
| | कुल | 200 | 200 | |

अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर उपरोक्त परीक्षा द्विभाषी रूप में उपलब्ध होंगी, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।

ii) परीक्षा केन्द्र

क) कॉल लैटर में दिए गए स्थानों पर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

ख) परीक्षा केंद्र / स्थान / तारीख / सत्र में बदलाव के लिए किसी अनुरोध पर नहीं किया जाएगा।

ग) बीआईएस, किसी भी परीक्षा केंद्र को प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर और /या कुछ अन्य केन्द्रों को विवेकानुसार जोड़ने या रद्द करने का अधिकार रखता है।

घ) बीआईएस उम्मीदवार द्वारा चुने गए केन्द्र के अतिरिक्त अन्य केन्द्र को आवंटित करने का अधिकार रखता है।

ङ) उम्मीदवार परीक्षा केन्द्र पर स्वयं के जोखिम और खर्चों पर परीक्षा के लिए उपस्थित होगा/होगी और बीआईएस किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

च) उम्मीदवार द्वारा एक बार चुना गया केंद्र अंतिम होगा।

छ) यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का चयन नहीं करते हैं, तो बीआईएस उन उम्मीदवारों को किसी अन्य संबद्ध केंद्र को आवंटित करने का अधिकार रखता है या यदि उम्मीदवारों की संख्या केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो बीआईएस उम्मीदवार को किसी अन्य केंद्र को आवंटित करने का अधिकार रखता है।

iii) **गलत उत्तर के लिए जुर्माना**

उम्मीदवार द्वारा दिए गए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके संशोधित स्कोर से उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% जुर्माना के रूप में घटाया जाएगा (अर्थात् 1 अंक के प्रश्न का गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे)। यदि प्रश्न खाली छोड़ा जाता है (उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर चिह्नित नहीं किया जाता है), तो उस प्रश्न के लिए कोई जुर्माना नहीं होगा।

iv) **स्कोर**

यदि परीक्षा एक से अधिक सत्र में आयोजित की जाती है, सभी सत्रों में प्रयुक्त की गई विभिन्न टेस्ट बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों के स्कोर को बराबर किया जाएगा। यदि नोड क्षमता कम होती है या किसी केंद्र पर या किसी उम्मीदवार के लिए कोई तकनीकी समस्या होती है, तो एक से अधिक सत्र की अपेक्षा है।

v) **कटऑफ स्कोर**

उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु बुलाने के लिए विचार तभी किया जाएगा यदि वह "संबंधित विषय के तकनीकी ज्ञान" के टेस्ट में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक और ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के कुल अधिकतम अंकों में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक स्कोर करे ।

vi) कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

1) परीक्षा संबंधित तिथि, पद और सत्र के लिए वैध बुलावा पत्र

2) मूल रूप में फोटो पहचान प्रूफ (जैसा कि नीचे पैरा (viii) में विनिर्दिष्ट किया गया है) और

3) फोटो-पहचान प्रूफ की प्रतिलिपि (जैसा कि ऊपर पैरा (2) में उल्लिखित है)

vii) देरी से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों अर्थात् परीक्षा हेतु बुलावा पत्र में विनिर्दिष्ट समय के बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलावा पत्र पर उल्लिखित रिपोर्ट करने का समय, टेस्ट शरू होने के समय पहले है। यद्यपि परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, परन्तु विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एवं संग्रह, लॉगिंग इन, अनुदेश देने जैसी विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने सहित उम्मीदवार को परीक्षा स्थान पर 4 घंटे तक रहना पड़ सकता है।

viii) पहचान सत्यापन

क) परीक्षा हाल के साथ साथ साक्षात्कार के समय, उम्मीदवार द्वारा वर्तमान में वैध मूल एवं प्रतिलिपि फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड/पासपोर्ट/ स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड/फोटोग्राफ सहित बैंक या डाकघर की पासबुक/ मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी किया गया वैध पहचान कार्ड/फोटोग्राफ सहित आधार/ ई-आधार कार्ड/ कर्मचारी पहचान कार्ड/ फोटोग्राफ सहित बार काउंसिल पहचान कार्ड के साथ बुलावा पत्र निरीक्षक को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवार की पहचान उसके बुलावा पत्र पर दिए गए विवरण, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत किए गए अपेक्षित दस्तावेजों के संबंध में सत्यापित की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार किसी उम्मीदवार की पहचान पर संदेह होता है, तो परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख) इस परियोजना के लिए राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस वैध पहचान प्रूफ नहीं हैं।

नोट: उम्मीदवारों को मूल फोटो पहचान प्रूफ देना होगा और परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने के समय क्रमशः परीक्षा बुलावा पत्र / साक्षात्कार बुलावा पत्र के साथ फोटो पहचान प्रूफ की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी, इनके बिना उन्हें परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार अवश्य ध्यान दें कि बुलावा पत्र लिखा हुआ नाम (जो पंजीकरण करने के दौरान उपलब्ध कराया गया था), वह फोटो पहचान प्रूफ के साथ **पूरी तरह** मिलना चाहिए। ऐसे महिला उम्मीदवार जिन्होंने शादी के बाद अपना पहला / अंतिम / मध्य नाम परिवर्तित किए हैं,

वे इस पर विशेष ध्यान दें। यदि बुलावा पत्र और फोटो पहचान प्रूफ में दर्शाए गए नाम में किसी प्रकार का मिलान नहीं होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ix) बायोमैट्रिक डाटा - पकड़ना तथा सत्यापन

(क) उम्मीदवारों के बायोमैट्रिक डाटा तथा फोटोग्राफ ऑनलाइन परीक्षा के दिन लिए जाएंगे। बायोमैट्रिक डाटा तथा फोटोग्राफ का बाद में सत्यापन किया जाएगा। बायोमैट्रिक डाटा सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय इसकी स्थिति (मैच या मिस मैच) के संबंध में अंतिम और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा।

(ख) उम्मीदवारों से अपेक्षा है कि प्रक्रिया के सुचारु संचालन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखें :

- 1) यदि उंगलियाँ लेपित (स्टाम्प स्याही/मेहंदी/रंग आदि) हैं, तो परीक्षा / साक्षात्कार / कार्यभार ग्रहण करने के दिन से पूर्व अच्छी तरह से धुलाई करें ताकि लेप को पूरी तरह हटाया जा सके।
- 2) यदि उंगलियाँ गंदी अथवा धूलयुक्त हैं, उंगली छाप (बायोमैट्रिक) लगाने से पहले इन्हें अच्छे से धोना और सूखाना सुनिश्चित करें।
- 3) सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की शुष्क हों। यदि उंगलियाँ नम हों, तो प्रत्येक उंगली को सूखाने के लिए अच्छे से साफ करें।
- 4) यदि प्रमुख उंगली (अंगूठा) जिसे छापा जाना है, वह चोटग्रस्त/क्षतिग्रस्त हो, तो परीक्षा केंद्र में संबंधित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें। ऐसे मामलों में दूसरी उंगलियों की छाप ली जा सकती है।

x) ऑनलाइन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म में पंजीकृत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को ही ईमेल तथा / एसएमएस द्वारा सूचनाएँ भेजी जाएंगी।

xi) यदि मोबाइल नम्बर, ईमेल पता, तकनीकी त्रुटि अथवा अन्यथा, जो बीआईएस के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण उम्मीदवार को जानकारी / सूचनाएँ नहीं पहुँचती है, तो बीआईएस जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवारों को अद्यतन सूचना हेतु बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी जाती है।

xii) मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर या अन्य कोई संचार यंत्र का प्रयोग

- (क) मोबाइल फोन, पेजर या अन्य कोई संचार यंत्र को उस परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं है, जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन अनुदेशों का कोई उल्लंघन होने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और भविष्य की परीक्षाओं में निषेध करने सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- (ख) उम्मीदवारों के हित में सलाह दी जाती है कि मोबाइल फोन/ पेजर सहित कोई निषिद्ध वस्तु परीक्षा के स्थान पर न लाएँ, जैसा कि इनकी सुरक्षा के किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।
- (ग) उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में कैलकुलेटर का प्रयोग करने अथवा अपने पास रखने की अनुमति नहीं है।

xiii) ऑनलाइन परीक्षा के बारे में अन्य विस्तृत जानकारी सूचना हैंडआउट में दी जाएगी, जो बीआईएस वेबसाइट से उम्मीदवारों को बुलावा पत्र के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी।

xiv) कोई उम्मीदवार केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता है और किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन नहीं जमा किए जाने चाहिए। उम्मीदवार द्वारा व्यवस्थित किया गया लिपिक इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त के उल्लंघन का पता चलता है, तो उम्मीदवार तथा लिपिक दोनों की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। लिखित परीक्षा और / साक्षात्कार में एक से ज्यादा उपस्थिति / हाजिरी होने पर पात्रता सरसरी तौर पर निरस्त / रद्द की जाएगी।

xv) ऑनलाइन आवेदन एक बार पंजीकृत होने के बाद वापस लेने की अनुमति नहीं होगी और / या आवेदन फीस / सूचना प्रभार भुगतान करने के बाद वापस नहीं किए जाएंगे और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

xvi) कदाचार/ अनुचित साधनों का प्रयोग करने के लिए दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्यवाही

उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे कोई ऐसे विवरण प्रस्तुत ना करें, जो असत्य, गलत या मनगढ़त हों और आवेदन प्रस्तुत करते समय किसी प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी छिपाई नहीं जानी चाहिए।

परीक्षा, साक्षात्कार के समय या चयन प्रक्रिया के दौरान बाद में, यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (या गया) -

- (क) अनुचित साधनों का प्रयोग करने या
- (ख) जाली आदमी बनना या किसी दूसरे व्यक्ति को जाली आदमी बनाने या
- (ग) परीक्षा/ साक्षात्कार कक्ष में दुर्यवहार करने या परीक्षा की विषयवस्तु या इसमें दी गई कोई पूरी अथवा किसी भाग की जानकारी को किसी अन्य प्रयोजन हेतु मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या यांत्रिक रूप में किसी साधन द्वारा बताने, प्रकाशित करने, प्रतिलिपि करने, संप्रेषित करने, संग्रह करने या ट्रांसमिशन को सुगम बना रहा हो या भंडारण कर रहा हो, या
- (घ) अपनी पात्रता के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा ले रहा हो, या
- (ङ) अनुचित तरीके से अपनी पात्रता के लिए समर्थन ले रहा हो, या
- (च) परीक्षा / साक्षात्कार हाल में मोबाइल फोन या संचार के इसी तरह के किसी यंत्रों को लाने, ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ निम्नलिखित के अतिरिक्त उनके विरुद्ध अपराधिक मामला भी चलाया जा सकता है :

(1) ऐसी परीक्षा के अयोग्य घोषित करना, जिस के लिए वह उम्मीदवार है

(2) बीआईएस द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के लिए स्थाई रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निषेध करना

(3) यदि बीआईएस में पहले से कार्यभार ग्रहण कर लिया हो, तो सेवा की समाप्ति।

महत्वपूर्ण:

बीआईएस विशिष्ट उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाओं (उत्तरों) के सही और गलत उत्तरों की एकरूपता के पैटर्न का पता लगाने के लिए दूसरे उम्मीदवारों के साथ विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में बीआईएस द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया से यह पता चला कि उत्तर सांझा किए गए हैं, और प्राप्त किए गए स्कोर सही/वैध नहीं हैं, तो ऐसे संबंधित उम्मीदवारों की प्रात्रता रद्द करने का अधिकार बीआईएस अपने पास सुरक्षित रखता है, और ऐसे उम्मीदवारों (अयोग्य) के परिणाम रोक लिए जाएंगे।

(xvii) बुलावा पत्र

परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए केंद्र, स्थान का पता, आवेदन हेतु पद, तिथि एवं समय संबंधित बुलावा पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा।

(xviii) ऐसा उम्मीदवार जिसने सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण किया है, वह अपना बुलावा पत्र बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in से अपने विवरण अर्थात् पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड/ जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकता है। पोस्ट/ कोरियर द्वारा बुलावा पत्र/ सूचना हैंडआउट की कोई प्रति नहीं भेजी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन फार्म में पंजीकृत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को ही ईमेल तथा / एसएमएस द्वारा सूचनाएँ भेजी जाएंगी। यदि मोबाइल नम्बर, ईमेल का पता, तकनीकी त्रुटि अथवा अन्यथा जो बीआईएस के नियंत्रण के बाहर हो, उम्मीदवार को जानकारी / सूचनाएँ नहीं पहुँचती है, तो बीआईएस जिम्मेदार नहीं होगा। अतः उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय समय पर ऐसे विवरण, अद्यतन सूचनाएँ आगे मार्गदर्शन के लिए, जो बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर पोस्ट की जाती है, उसके लिए नियमित रूप से जुड़े रहने के साथ साथ अपने पंजीकृत ई-मेल अकाउंट चेक करने की सलाह दी जाती है।

अनुबंध 6
आवेदन कैसे करें

विस्तृत दिशानिर्देश/ प्रक्रियाओं के लिए

क. आवेदन पंजीकरण

ख. फीस का भुगतान

ग. फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड

उम्मीदवार दिनांक 16.03.2018 से 02.04.2018 तक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अन्य किसी तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पंजीकरण से पूर्व ध्यान दिए जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु

आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को निम्नलिखित करना चाहिए :

- i. फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन तथा अपलोड के लिए अपने फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर यह सुनिश्चित करते हुए स्कैन करें कि वे दिशानिर्देशों में दिए गए अपेक्षित विशिष्टियों के अनुरूप हैं।
- ii. ऐसी वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखें जो इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रहना चाहिए। बीआईएस परीक्षा आदि के लिए पंजीकृत ईमेल आईडी के जरिए बुलावा पत्र भेज सकता है। यदि उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाने चाहिए तथा ईमेल अकाउंट तथा मोबाइल नंबर का रखरखाव करना चाहिए।
- iii. आवेदन फीस / सूचना प्रभार [16.03.2018 से 02.04,2018 (केवल ऑनलाइन भुगतान मोड द्वारा) तक दोनों तिथियों सहित] रु. 750/ है। अनु.जा./अनु.ज.जा/भूतपूर्व सैनिक / बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों/महिला उम्मीदवारों से किसी प्रकार की फीस की अपेक्षा नहीं है।

आवेदन फीस / सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक ट्रांसक्सन प्रभारों का भुगतान उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा।

क. आवेदन प्रक्रिया

1. उम्मीदवारों को बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाना अपेक्षित है और “अप्लाई ऑनलाइन” विकल्प दबाना है जो एक नया स्क्रीन खोलेगा।
2. आवेदन पंजीकृत करने के लिए “क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन” टैब चूने और नाम, संपर्क विवरण तथा ईमेल आईजी भरें। सिस्टम द्वारा एक अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट होगा तथा स्क्रीन पर दिखाई देगा। उम्मीदवार को अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को नोट करना चाहिए। अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को सूचित करते हुए एक ईमेल एवं एसएमएस भी भेजा जाएगा।
3. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन पूरा नहीं कर पाता है, तो वह “सेव एण्ड नेक्सट” टैब चूने पर पहले से दर्ज डाटा को सेव कर सकता/ती है। ऑनलाइन आवेदन को जमा करने से पहले विवरण का सत्यापन करने हेतु उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि “सेव एण्ड नेक्सट” टैब सुविधा का प्रयोग करें यदि ऑनलाइन फार्म में उसे संशोधित करने की जरूरत हो तो उसे संशोधित करें। दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को आवेदन फार्म सावधानी पूर्वक भरना चाहिए और फाइनल सबमिशन से पहले विवरण सही से सत्यापित कराने चाहिए।
4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन में भरे विवरण का स्वयं सावधानी पूर्वक सत्यापन करें फाइनल सबमिशन बटन दबाने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं होगा।
5. आवेदन में उम्मीदवार का नाम तथा उसके पिता/ पति आदि का नाम की सही वैसी ही वर्तनी होनी चाहिए जैसा कि प्रमाण पत्र/ पहचान प्रूफ/ अंक तालिकाओं में दिखाई देता है। कोई परिवर्तन / कांट-छांट मिलने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।
6. “वैलिडेट योर डिटेल” को दबाकर अपने विवरण को वैध करें और “सेव एण्ड नेक्सट” को दबाकर अपने आवेदन को सेव करें।

7. उम्मीदवार दिशानिर्देशों में दिए गए बिन्दु “ग” के विस्तृत अपेक्षित विशिष्टियों के अनुसार फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करके आगे बढ़ सकते हैं।
8. उम्मीदवार आवेदन फार्म के अन्य विवरण भर कर आगे बढ़ सकते हैं।
9. फाइनल सबमिशन से पूर्व प्रीव्यू टैब को दबाकर उम्मीदवार अपने संपूर्ण आवेदन का पूर्व प्रदर्शन कर सकते हैं।
10. यदि अपेक्षित हो तो विवरण संशोधित करें, और अपलोडेड फोटोग्राफ, हस्ताक्षर तथा आप द्वारा भरे गए सभी विवरण सही होने पर ‘फाइनल सबमिट ऑनलि’ दबाएँ।
11. भुगतान करने हेतु भुगतान टैब दबाएँ।
12. सबमिट बटन दबाएँ।

ख. फीस का भुगतान

ऑनलाइन मॉड

1. आवेदन फार्म भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और भुगतान प्रक्रिया निम्नलिखित अनुदेशों द्वारा पूरी की जा सकती है।
2. भुगतान डेबिट कार्ड (रूपे/वीजा/मास्टर कार्ड/मयेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है ।
3. ऑनलाइन आवेदनफार्म में भुगतान की सूचना सबमिट करने के बाद **सर्वर से इंटीमेशन की प्रतीक्षा करें। दोहरा चार्ज लगने से बचने के लिए बैंक अथवा रिफ्रेश बटन को न दबाएँ ।**
4. ट्रांजेक्शन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ई-रसीद लें ।
5. यदि ई-रसीद जेनरेट नहीं होती, तो इस प्रकार पेमेंट असफल रहा है । भुगतान के असफल रहने पर उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए भुगतान की प्रक्रिया को दोबारा रिपिट करें ।

6. उम्मीदवारों के लिए **ई-रसीद** और ऑनलाइन आवेदन पत्र का **प्रिंट आउट** लेना अपेक्षित है । कृपया नोट करें कि यदि ये नए जेनरेट नहीं होते, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सफल नहीं हुआ होगा ।

7. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए : सभी शुल्क भारतीय रूपयों में सूचीबद्ध किए गए हैं । यदि आप एक गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो आपका बैंक उस समय लागू एक्सचेंज रेट के आधार पर इस राशि को स्थानीय मुद्रा में कन्वर्ट कर देगा।

8. अपने डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद कृपया ब्राउजर विंडो को बंद कर दें ।

9. फीस का भुगतान करने के बाद फीस के विवरण सहित आवेदन पत्र को प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध है ।

ग. फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर स्कैन करने और उन्हें अपलोड करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

यदि फोटोग्राफ में चेहरा अथवा हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं, तो आवेदन रद्द किया जा सकता है ।

ऐसे मामले में उम्मीदवार आवेदन को एडिट कर सकते हैं तथा फोटोग्राफ/हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर सकते हैं।

फोटोग्राफ इमेज

क. फोटोग्राफ कलर में अभी हाल ही में खींचा हुआ होना चाहिए ।

ख. पिक्चर रंगीन हो, इसके पीछे का बैक ग्राउंड हल्के रंग का, अधिमानतः सफेद रंग का हो।

ग. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि फोटो, फोटो लेने के लिए दिए गए स्थान पर अपलोड

किया जाए तथा हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के लिए दिए गए स्थान पर अपलोड किया जाए ।

यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड नहीं किये गये हैं, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ. फोटो लेते समय चेहरा तनावरहित हो तथा सीधे कैमरे की ओर देखें ।

- ड. यदि पिक्चर लेते समय धूप खिली हुई है, तो सूरज आपके पीछे हो अथवा आप छाया में खड़े हों, ताकि आपकी आँखें अधखुली न रहें और कोई गहरी छाया फोटो पर न पड़े ।
- च. यदि आप फ्लैश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि "रेड-आई" न हो ।
- छ. यदि आप चश्मा पहनते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी आँखें साफ दिखाई दें ।
- ज. टोपी, हैट अथवा गहरे चश्मे पहन कर फोटो खिचवाना स्वीकार्य नहीं है ।
- झ. सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक वस्त्र की अनुमति है, लेकिन इससे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए।
- ञ. आयाम 200x230 पिक्सल (अधिमानतः)
- ट. फाइल का साइज 20kb--50kb के बीच के होना चाहिए ।
- ठ. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का साइज 50KB से अधिक न हो ।
- ड. यदि फाइल का साइज 50KB से अधिक है तो स्कैनिंग के प्रोसेस के दौरान स्कैनर जैसे डीपीआई रिजोल्यूशन, नंबर ऑफ कलर्स इत्यादि की सैटिंग को एडजस्ट करें।
- ढ. यदि फोटो, फोटो के स्थान पर अपलोड नहीं की गई है, तो परीक्षा में प्रवेश को अनुमति नहीं दी जाएगी/मना कर दिया जाएगा । उम्मीदवार इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होगा ।
- ण. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि अपलोड की जाने वाली फोटो अपेक्षित साइज की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे ।

हस्ताक्षर (सिग्नेचर) इमेज :

- क. आवेदक को सफेद पेपर पर काले इंक पैन से साइन करने हैं ।
- ख. हस्ताक्षर आवेदक को ही करने हैं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ।
- ग. कॉल लैटर तथा परीक्षा के समय अटेंडेंस शीट पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मैच करने चाहिए । यदि हस्ताक्षर मैच नहीं करते हैं, तो उम्मीदवार को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है।
- घ. आयाम
- ड. 140x60 पिक्सल (अधिमानतः)
- च. फाइल का साइज 10kb--20kb के बीच के होना चाहिए ।
- छ. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का साइज 20KB से अधिक न हो ।
- ज. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे ।

फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर की स्कैनिंग :

- क. स्कैनर के रिजोल्यूशन को मिनिमम 200 dti (डॉट्स पर इंच पर सैट करें)
- ख. कलर डू कलर पर सैट करें ।
- ग. फाइल साइज उपरोक्त में यथा-विनिर्दिष्ट के अनुसार हो ।
- घ. स्कैनर में इमेज को फोटोग्राफ/सिग्नेचर तक क्रॉप करें, उसके बाद, इमेज को फाइनल साइज पर क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें (उपरोक्त में यथा-विनिर्दिष्ट) ।
- ङ. इमेज फाइल JPG अथवा JPEG फार्मेट में होनी चाहिए । उदाहरण के लिए फाइल का नाम इमेज 01 .jpg अथवा इमेज 01 .jpeg है । इमेज डाइमेंशन फोल्डर फाइल में लिस्टिंग अथवा फाइल इमेज आईकॉन पर माउस को मूव करके चैक की जा सकती है । एमएस विंडोज, एमएस ऑफिस का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवार फोटो और सिग्नेचर एमएस पेंट अथवा एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करते हुए क्रमशः 50KB तथा 20KB से अनधिक .jpeg फार्मेट में फोटो तथा सिग्नेचर आसानी से ले सकते हैं । स्कैन किए गए फोटो तथा सिग्नेचर फाइल मैन्यू में 'सेव एज' का उपयोग करते हुए .jpg फार्मेट में से किसी फार्मेट में सेव किए जा सकते हैं तथा 'इमेज' मैन्यू में क्रॉप और उसके बाद रिसाइज ऑप्शन (कृपया पिक्सल साइज के लिए ऊपर का पोइंट देखें) का उपयोग करते हुए इनका साइज 50KB (फोटोग्राफ) तथा 20KB (सिग्नेचर) से नीचे तक साइज कम किया जा सकता है । इसी प्रकार के ऑप्शन अन्य फोटो एडिटर्स में भी उपलब्ध हैं ।

यदि फाइल साइज ओर फार्मेट साइज यथा निर्दिष्ट नहीं हैं, तो एरर मैसिज डिस्प्ले होगा ।

ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उम्मीदवार को अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ।

फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का प्रोसीजर

- क. फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक होंगे ।
- ख. फोटोग्राफ/सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 'अलग-अलग' लिंक पर क्लिक करें ।

- ग. ब्राउज करें और उस लोकेशन को सैलेक्ट करें, जिसमें स्कैन किए गए फोटोग्राफ और सिग्नेचर सेव किए गए हैं ।
- घ. इस पर क्लिक करके फाइल सैलेक्ट करें ।
- ङ. 'अपलोड' बटन को क्लिक करें ।

अनुबंध 7

अन्य महत्त्वपूर्ण अनुदेश

- i. भर्ती की प्रक्रिया सहित इस विज्ञापन पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह केवल दिल्ली में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होगा ।
- ii. किसी भी रूप में कन्वैसिंग डिस्क्वालिफिकेशन होगी ।
- iii. चयन प्रक्रिया की किसी भी स्टेज पर उम्मीदवार द्वारा यदि गलत सूचना दी जाती है तथा/अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन किए जाने के प्रमाण मिलते हैं तो उन्हें चयन प्रक्रिया से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा और भविष्य में उन्हें बीआईएस में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अपीयर होने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि इस प्रकार की घटना वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं पकड़ी जाती, किंतु बाद में पकड़ी जाती है तो इस प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन पूर्वप्रभाव से प्रभावी होगी।
- iv. यदि इस विज्ञापन के किसी संस्करण में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के संस्करण में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बीआईएस की वेबसाइट पर दिया गया अंग्रेजी संस्करण लागू माना जाएगा ।
- v. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्र में होती है तो सत्र के दौरान प्रयुक्त डिफरेंट टेस्ट बैटरियों के डिफिकल्टी लेवल में कुछ डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए विभिन्न सत्रों के स्कोर को बराबर माना जाएगा ।
- vi. यदि किसी केन्द्र अथवा किसी उम्मीदवार की किसी तकनीकी समस्या के कारण लोड कैपेसिटी कम है, तो एक से अधिक सत्र अपेक्षित होंगे । परीक्षा को आयोजित करने में किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, जिसका असर परीक्षा की डिलीवरी पर अथवा परिणाम जनरेट करने पर पड़ सकता है । ऐसी स्थिति में उस समस्या को दूर करने की हरसंभव कोशिश की जाएगी, जिसमें, यदि आवश्यक हो, तो दुबारा परीक्षा कराना भी शामिल हो सकता है।
- vii. साक्षात्कार के लिए बाहर से बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा के प्रमाण (रेल/बस टिकट) देने पर सबसे छोटे रूट से आने और जाने का रेलवे द्वितीय श्रेणी का किराया/बस का किराया अथवा वास्तव में किया गया खर्च, जो भी कम हो, दिया जाएगा । यह छूट उन उम्मीदवारों को नहीं दी जाएगी जो केन्द्र/राज्य सरकार,

- निगम, सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय सरकार, संस्थान तथा पंचायत में पहले से ही सेवारत हैं ।
- viii. बीआईएस किसी अनधिकृत व्यक्ति, संस्था द्वारा दिए गए किसी आवेदन/गलत सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदनों के विवरणों का किसी से सांझा न करें।
- ix. उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रूप से फिट होने और बीआईएस में लागू आचरण नियमों के अधीन है । बीआईएस का निर्णय सभी उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- x. बीआईएस कारण बताकर या बिना कोई कारण बताए किसी भी मानदंड, चयन पद्धति तथा नियुक्ति को बदलने (रद्द करने, संशोधित करने/जोड़ने) का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
- xi. यदि किसी केन्द्र अथवा किसी उम्मीदवार किसी तकनीकी समस्या के कारण लोड कैपेसिटी कम है, तो एक से अधिक सत्र अपेक्षित होंगे । परीक्षा को आयोजित करने में किसी तरह की समस्या होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, जिसका असर परीक्षा की विधि पर अथवा परिणाम जेनरेट करने पर पड़ सकता है । ऐसी स्थिति में उस समस्या को दूर करने की हरसंभव कोशिश की जाएगी, जिसमें उम्मीदवार को दूसरे सेंटर पर शिफ्ट करना अथवा दोबारा परीक्षा करवाना, यदि आवश्यक हो, तो शामिल है । इस संबंध में बीआईएस का निर्णय अंतिम होगा। जो उम्मीदवार इस प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो सकती है ।
- xii. जो उम्मीदवार वर्तमान में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्धसरकारी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं, उन्हें साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

प्रपत्र ए

अपने दावे के समर्थन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* -----
सुपुत्र/सुपुत्री*----- गाँव/नगर*-----
जिला/मंडल*----- राज्य/संघ शासित क्षेत्र*-----
जाति/जनजाति*----- से संबंध रखता है, जो कि निम्न रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है :

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950;

*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950;

*संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951;

*संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951;

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश), 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 एवं गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 के अनुसार यथा संशोधित]

*संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;

*संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित;

*संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962;

*संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;

*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964;

*संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;

*संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968;

*संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968;

- *संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;
- *संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
- *संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
- *संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
- *संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
- *संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991;
- *संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991;
- *संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996;
- *अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002;
- *संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002;
- *संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002;
- *संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002;

2. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामले में जिन्होंने एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन से प्रवास किया है, उनके लिए आवेदन ।

यह प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के आधार पर जारी किया जाता है*

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- श्री/श्रीमती/कुमारी*-----

----- के पिता/माता है, जिनका गाँव/शहर -----

जिला और तहसील में है और जिनका संबंध ----- राज्य/केन्द्र शासित

प्रदेश से है । इनका संबंध ----- जाति/जनजाति से है, जिसको

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई

है, ----- [प्राधिकारी का नाम], उनकी संख्या -----

----- दिनांक ----- द्वारा द्वारा किया गया ।

हस्ताक्षर -----

पदनाम -----

स्थान :

[कार्यालय की मुहर सहित]

तिथि :

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

टिप्पणी : "आमतौर पर रहते हैं" प्रयुक्त शब्द का यहाँ अर्थ वहीं होगा, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के खंड में है ।

----- *कृपया उन शब्दों को हटा दें, जो लागू नहीं होते हैं ।

पैराग्राफ को हटा दें, जो लागू नहीं होते हैं ।

प्राधिकारियों की सूची, जिन्हें जाति/जनजाति प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए शक्ति दी गई है :

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उपजिलाधीश/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/+ उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/+(प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट की रैंक से नीचे नहीं) ।
2. मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट ।
3. राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के रैंक से नीचे नहीं ।
4. उप क्षेत्र का उपप्रभागीय अधिकारी, जहाँ पर उम्मीदार और/अथवा उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
5. प्रशासक/प्रशासक/विकास अधिकारी के सचिव (लक्षद्वीप)

प्रपत्र बी

अपने दावे के समर्थन में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* -----
सुपुत्र/सुपुत्री*----- गाँव/शहर* -----
जिला/मंडल ----- राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र* ----- और -
-----समुदाय से है, जो कि निम्न रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में जाना जाता है:

@भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/68/93 - बीसीसी दिनांक 10 सितम्बर 1933 भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, संख्या 186, दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित

@भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/9/94 - बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994 भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, संख्या 163, दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित

@भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/7/95 - बीसीसी@ दिनांक 24 मई 1995 भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, संख्या 88, दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित

@भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/96/94 - बीसीसी@ दिनांक 9 मार्च 1996 भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, संख्या 60, दिनांक 11 मार्च 1996 में प्रकाशित

@भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/44/96 - बीसीसी@ दिनांक 6 दिसम्बर 1996 भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, संख्या 210, दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित

@भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/99/94 - बीसीसी@ दिनांक 11 दिसम्बर 1997 भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, संख्या 236, दिनांक 12 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित

@भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/13/97 - बीसीसी@ दिनांक 3 दिसम्बर 1997 भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, संख्या 239, दिनांक 17 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित साधारण

@भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/68/98 - बीसीसी@ दिनांक 27 अक्टूबर 1999 भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, संख्या 241, दिनांक 24 अक्टूबर 1999 में प्रकाशित

@भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/88/98 - बीसीसी दिनांक 6 दिसम्बर 1999 भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, संख्या 270, दिनांक 6 दिसम्बर 1999 में प्रकाशित

@भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/36/99 - बीसीसी दिनांक 1 अप्रैल 2000, सं. 71 दिनांक 4 अक्टूबर 2000 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित

@भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/44/99 - बीसीसी@ दिनांक 21 सितम्बर 2000, सं. 210, दिनांक 21 सितम्बर 2000 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित

@भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या: 12015/9/2000 - बीसीसी@ दिनांक 6 सितम्बर 2001, सं. 246, दिनांक 6 सितम्बर 2001 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित

@भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/1/2001 - बीसीसी@ दिनांक 19 जून 2003, सं. 151, दिनांक 20 जून 2003 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित

@भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/4/2002 - बीसीसी@ दिनांक 13 जनवरी 2004, सं. 9, दिनांक 13 जनवरी 2004 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित

@भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या: 12011/14/2004 - बीसीसी@ दिनांक 12 मार्च 2007, सं. 67, दिनांक 12 मार्च 2007 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित

श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- तथा/अथवा उनका परिवार सामान्यतः ---
-----राज्य/संघ शासित राज्य के ----- जिला/मंडल -----
----- के -----गाँव/शहर में रहता है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं. 36012/22/93-ईएसटीटी(एसटसी), दिनांक 8.9.1993 तथा का.जा. सं. 36033/3/2004-ईएसटीटी(आरईएस), दिनांक 9.3.2004 तथा 360033/3/2004-ईएसटीटी(आरईएस), दिनांक 14.10.2008 की अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित व्यक्ति/सेक्शन (क्रीमीलेयर)से संबद्ध नहीं है ।

हस्ताक्षर -----

**पदनाम -----

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

स्थान -----

तिथि -----

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

@ काट दें जो लागू नहीं होते हैं।

टिप्पणी : “आमतौर पर रहते(रहता)” प्रयुक्त शब्द का यहां अर्थ वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 के खंड में है।

****ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकारियों की सूची**

क) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधीश/ उपायुक्त / अपरउपआयुक्त / उप जिलाधीश / प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तलुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त/(प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट की रैंक से नीचे नहीं)

(ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसिडेंसीमैजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसीमैजिस्ट्रेट

(ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की रैंक से नीचे न हो

(घ) क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हो

(ड.) प्रशासक / सचिव प्रशासक / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणी 1 : ओबीसी से संबंधित दावा करने वाले उम्मीदवार को नोट करें कि उनकी जाति (इनकी वर्तनी सहित) जैसा कि उनके प्रमाणपत्रों में दर्शाई गई है, बिल्कुल वही होनी चाहिए जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित है, बिल्कुल वही होना चाहिए। जैसा कि केन्द्र सरकार इसे समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित है। जाति के नाम पर किसी भिन्नता वाले प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2 : राज्य (या राज्य का हिस्सा) के संबंध में उम्मीदवार के ओबीसी होने के दावे का निर्धारण उसके पिता के मूल रूप से उस राज्य का निवासी होने से किया जाएगा। जिस उम्मीदवार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में (अथवा राज्य के हिस्से में) स्थानांतरण किया हो ऐसे उम्मीदवार को इस आधार पर ओबीसी प्रमाणपत्र देना होगा, जो कि उसके पिता के ओबीसी प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया हो जिस राज्य से उसके (पिता) मूल रूप से थे।

टिप्पणी 3 : इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार द्वारा अपने सरलीकृत आवेदन पत्र में निर्दिष्ट समुदाय की स्थिति में साधारण रूप से कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

फार्म ग

ओबीसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा का फार्म (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैं.....पुत्र/पुत्रीगांव/कस्बा/शहर.....जिला.....राज्य.....एतद्वारा घोषित करता हूं कि मैं.....समुदाय से संबंधित हूं जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93-स्थापना(एससीटी)दिनांक 8.9.1993 के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त दिए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना(आरक्षण) दिनांक 9 मार्च 2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना(आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर 2008 की अनुसूची के कॉलम 3 में दर्शाई व्यक्तियों/वर्ग(क्रिमीलेयर) से संबंधित नहीं हूं।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पता.....